अध्याय III
सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत सरकार के पास या तो पूर्णत: अथवा ऐसी शर्तों के विषयगत जैसा कि अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट किया जाए, किसी माल पर देय पूरे सीमाशुल्क या इसके किसी भाग का छूट देने की शक्ति होती है। मई 2009 से मार्च 2013 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा से संज्ञान में आए (जुलाई 2010 से जून 2013) छूट की गलत मंजूरी के कारण कुल ₹ 89.31 करोड़ शुल्क की गैर उगाही/कम उगाही/अधिक उगाही के कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने कपड़ा वस्तुओं पर अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क से गलत छूट अनुमत किया।

3.1 आठ अप्रैल 2011 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2011 में उत्पाद (विशेष महत्व वाले समान) अधिनियम, 1957 के अतिरिक्त शुल्क की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल कथित अधिनियम की परिधि से हटा दिए गए थे। फलस्वरूप ये माल दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क के क्रमांक 50 के अतर्गत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क की उगाही से छूट प्राप्त थे जो दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 19/2006 सीमाशुल्क के अनुसार चार प्रतिशत शुल्क देया था।

चेन्नई (समुद्री), आयुक्तालय, जेएनसीएच मुम्बई, कोलकाता (हवाई एवं पत्तन) आयुक्तालयों के माध्यम से मै. श्री बाहुबली इंटरलिनिंग्स एवं अन्य के द्वारा आयातित (अप्रैल 2011 से मार्च 2013) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व वाले सामान) अधिनियम , 1957 की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र सामानों के कई परिषणों को अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क और अधिसूचना सं. 21/2012-सीमाशुल्क (क्रमांक 12) के क्रमांक 50 के अनुसार विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्कों की उगाही से गलत छूट अनुमत किया गया था। जबकि ये अप्रैल 2011 से प्रभावी कथित पहली अनुसूची से हटा दिए गए थे। अधिसूचना सं. 20/2006 और 21/2002 के अन्तर्गत अनुमत छूट गलत थी और अधिसूचना सं.19/2006 के अनुसार एसएडी की उगाही की जानी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.10 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही हुई।

उपायुक्त, सीमाशुल्क , चेन्नई (पत्तन) ने बताया (दिसम्बर 2012 से अप्रैल 2013) कि पॉच आयातकों से ₹ 0.70 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.22 लाख की आंतरिक वसूली की गई और मै. सीबी एक्सपोर्ट, तिरूपुर को मांग नोटिस जारी किया गया। अन्य आयुक्तालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014) ।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात मुम्बई पत्तन से भी किए गए थे जिसे 16 मार्च 2012 तक प्रभावी अधिसूचना सं. 20/2006 दिनांक 1 मार्च 2006 के तहत तथा 17 मार्च 2012 से अधिसूचना सं. 21/2012 सीमाशुल्क के क्रमांक 12 के अनुसार गलत छूट अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से देखी गई कम उगाही, यदि कोई हो, के साथ ही सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने आयतों पर अधिक शुल्क वसूल किया।

3.2 अधिसूचना संख्या 51/96 सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई 1996 के अनुसार सार्वजनिक निधि वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा आयातित माल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत वसूली योग्य सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दिया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एसीसी, बैंगलुरू के माध्यम से सार्वजनिक निधि वाले अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा उल्लिखित अधिसूचना के प्रावधानों उल्लंघन में चार प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.79 करोड़ के सीवीडी की अधिक उगाही हुई।

इसे जून 2013/नवम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिाकरी ने 'विंडमिल बीम्स' को गलत छूट अनुमत किया।

3.3 'विड परिचालित इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, विंड टर्बाइन कंट्रोलर और रोटर सहित इसके पुर्जे और इसके भाग' दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना संख्या 6/2006 सीई (क्रमांक 84, सूची 5 क्रम 13) के तहत अतिरिक्त

सीमाशुल्क की उगाही से छूट प्राप्त हैं। 'विडंमिल बीम्स' सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 8503 के तहत आने वाले इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर का भाग नहीं है इसलिए यह अतिरिक्त छूट के लिए योग्य नहीं है। इसके बावजूद वे ढाँचों में प्रयोग हेतु बने बीम्स, चैनेल, पिलर्स के रूप में सीटीएच 7308 के तहत विशेष वर्गीकरण है और 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क उदग्रहणीय है।

मै. वेस्टास विड टेक्नालॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा दो अन्य द्वारा चेन्नई (समुद्री)/गुजरात आयुक्तालय के माध्यम से आयातित (जनवरी से नवम्बर 2011) विंडमिल के लिए विंडमिल बीम्स /टावर सेक्शन के 45 खेपों को विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर का भाग मानते हुए उल्लिखित अधिसूचना के तहत अतिरिक्त शुल्क से गलत छूट अनुमत किया गया था।

विंडमिल बीम्स को विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे टर्बाइन जेनरेटर के भाग के रूप में कार्य नहीं करते और इसका संचालनात्मक और मैकेनिकल से काई लेना देना नहीं है। तदनुसार, आयातित वस्तुएं अतिरिक्त शुल्क से छूट हेतु योग्य नहीं है। सीटीएच 7308 के तहत 10 प्रतिशत की दर से शुल्क देय था। समान मुद्दे पर न्यायिक निर्णय भी आया कि विंडमिल टावर्स का वर्गीकरण्र सीटीएच 7308 के तहत किया जाता है और ये विंड आपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर के भाग नहीं हैं। (संयुक्त राज्य अंतराष्ट्रीय कमीशन,रूलिंग सं. एचक्यू 964757 दिनांक 25 सितम्बर 2001)। इस प्रकार गलत छूट मंजूर करने से ₹ 1.50 करोड़ की कम वसूली हुई।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2012/जून 2013) विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, तत्पश्चात लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि अन्य आयातकों (मैं गमेसा विंड टर्बाइन लिमिटेड और मै. आरआरबी एनर्जी लिमिटेड) द्वारा समान आयात (अप्रैल से नवम्बर 2011) में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने मांग नोटिस जारी किये थे। आगे की प्रगति अपेक्षित थी। (मार्च 2014)।

इसके अतिरिक्त अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात मुंबई और कर्नाटक के विभिन्न पत्तनों से भी किए गए थे और जाहिर तौर पर उल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत गलत छूट मंजूर किया गया जिसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा देखी गई कम उगाही यदि कोई हो, के साथ उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डाई अमोनियम फास्फेट (डिएपी) को गलत छूट अनुमत किया।

3.4 अधिसूचना संख्या 4/2006 सीई दिनांक 1 मार्च 2006 (क्रमांक 63) के अनुसार ''उनके अलावा सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) केंद्रीय उत्पाद टैरिफ हेडिंग (सीईटीएच) के तहत वर्गीकृत माल जो (क) उर्वरक के रूप में अथवा (ख) प्रत्यक्ष या माध्यमिक उत्पाद के स्तर के माध्यम से अन्य उर्वरकों के निर्माण में स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है।'' उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। इसके अलावा अधिसूचना सं. 20/2006 सीमाशुल्क के क्रमांक 4 के अनुसार, उर्वरक बनाने के लिए उर्वरक और अन्य माल विशेष, अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध बी के साथ पठित निर्यात नीति के लिए आईटीसी एचएस निर्यात अनुसूची 2 की तालिका बी को क्रमांक 130 'डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी)' पर निर्यात प्रतिबंध लगाता है। हालांकि डीएपी के विनिर्दिष्ट निर्माताओं को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें अपना स्वयं के निर्मित डीएपी का निर्यात अनुमत होगा बशर्ते कि विभाग को एक प्रमाणपत्र के साथ यह सूचना देना होगा कि किसी सब्सिडी का दावा नहीं किया गया है।

मै. मोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसार सीवीडी और एसएडी से छूट लेते हुए रियायती दर के सीमाशुल्क के भुगतान पर सीमाशुल्क भवन (जामनगर) के माध्यम से आयातित[10] डीएपी (सीटीएच 31053000) की दो परेषणों की मंजूरी दी गई (मई 2009/दिसम्बर 2010)। लेखापरीक्षा ने देखा कि :-

(i) आयातक द्वारा की गई घोषणा (फरवरी 2010) के अनुसार आयातित डीएपी को पुर्निर्यात करना बताया गया न कि उर्वरक के रूप में उपयोग करना।

---

[10] एंट्री बिल (बीई) सं. 8 दिनांक 28 मई 2009 (2640 एम.टी.) सीमाशुल्क भवन (सीएच) जामनगर पर घरेलू उपयोग हेतु फाइल किया गया था। बीई सं. एफ –डब्ल्यू /एच-01 दिनांक 4 जुलाई 2009 (2199.58 एम.टी.) को सीएच जामनगर पर वेयर हाउसिंग के लिए फाइल किया गया था जो दिनांक 1 दिसम्बर 2010 के पूर्व बांड बीई सं. 1 /ईबी/10-11 द्वारा आयातकों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद (एआर –V जामनगर) के माध्यम से बाद में मंजूरी दी गई।

(ii) उर्वरक विभाग (नई दिल्ली) ने आयातित डीएपी के निर्यात हेतु आयातक को इस आधार पर अनुमति दी (सितम्बर 2010) कि आयातक ने आयातित डीएपी पर छूट का दावा नहीं किया जबकि निर्यात नीति में केवल सूची बी में सूचीबद्ध निर्यातकों द्वारा निर्मित डीएपी का निर्यात ही अनुमत है।

मौजूदा मामले में आयातक ने डीएपी का आयात करते समय रियायती शुल्क दर का लाभ लिया था, जबकि पुनर्निर्यात के उद्देश्य से किए गए आयात एक्जिम नीति के उल्लंघन में उर्वरकों के निर्माण में उपयोग नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त आयात को एक्जिम नीति की निर्धारित निर्यात सूची बी में निर्माता के रूप में शामिल नहीं किया था। इन दो प्रतिबन्धों को दोनों विभागों (उर्वरक सीमाशुल्क विभाग) द्वारा डीएपी का गलत निर्यात अनुमत करने से पूर्व ध्यान में नहीं लिया गया। इस प्रकार, गलत छूट की मंजूरी के परिणमस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई।

अधीक्षक (केंद्रीय उत्पाद रेंज-V), जामनगर ने कहा (जून/जुलाई 2011) कि केंद्रीय उत्पाद अधिसूचना सं. 4/2006 (क्रमांक 63) और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 20/2006 (क्रमांक 4) में सीवीडी और एसएडी से उर्वरकों को पूर्णत:छूट प्राप्त है और चूंकि डीएपी एक उर्वरक है, छूट मान्य थी।

विभाग का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाए कि चूंकि मालों को उर्वरक के उद्देश्य से उपयोग करने के बजाए पुनर्निर्यात किया गया था, उल्लिखित अधिसूचना के अंतर्गत लाभ मान्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयातित डीएपी का निर्यात अनुमत करना भी सही नहीं था क्योंकि आयातक न तो सूचीबद्ध डीएपी निर्यातक (एक्जिम नीति की अनुसूची 2 के अनुसार) था, न ही इसने अपनी बनी डीएपी का निर्यात किया।

सहायक आयुक्त (सीमाशुल्क) जामनगर ने बताया (सितम्बर 2011) कि आयातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा था और केंद्रीय उत्पाद के अधीक्षक को धनराशि की वसूली हेतु कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

इसी बीच आयुक्त (अपील), राजकोट ने ₹ 30 लाख की पूर्व जमा राशि जमा न करने के आधार पर आपत्ति वाली राशि की वसूली की पुष्टि करते हुए (सितम्बर 2011) उपायुक्त (केन्द्रीय उत्पाद) जामनगर द्वारा मूल रूप से पारित आदेश के प्रति आयातक की अपीलों को अस्वीकार कर दिया (फरवरी/मार्च 2012)। तत्पश्चात आयातक ने सेसटैट (अहमदाबाद) में एक अपील दाखिल किया जिसने इसे ₹ 1 लाख का पूर्व जमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 2012) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी मामले

को क्रमिक आधार पर निपटाने का निर्देश दिया । आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने डीवीडी के पुर्जों को गलत छूट अनुमत किया।

3.5 डीवीडी के पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 85229000 के तहत वर्गीकरणीय हैं जो सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 25/2005 दिनांक 1 मार्च 2005 (क्रमांक 11) के अंतर्गत मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से छूट हेतु योग्य नहीं हैं। इन पुर्जों के आयात पर 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी देय है।

मै. सिद्धि इंटरप्राइजेज़ और मै. केटमैन ट्रेडर्स ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से ₹ 2.87 करोड़ के संयुक्त निर्धारण मूल्य पर 'डीवीडी पुर्जों' के नौ परेषणो का आयात किया (फरवरी से अगस्त 2012)। निर्धारण अधिकारी ने 'टेलीफोन आंसरिंग मशीनों के लिए प्रिन्टेड सर्किट असेम्बल्स' के रूप में मानते हुए उन पर उल्लिखित अधिसूचना के अंतर्गत बीसीडी से गलत छूट अनुमत किया, जबकि आयातित माल डीवीडी के पुर्जे थे और ऐसे छूट के लिए योग्य नहीं थे। इसके कारण ₹ 34.18 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई।

मंत्रालय ने मै. केटमैन ट्रेडर्स से ₹ 5.08 लाख की वसूली और मै. सीद्धि इंटर प्राइजेज को बचाव मांग जारी करने की सूचना दी (अगस्त 2013)।

इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि समान आयात दिल्ली और तमिलनाडु के विभिन्न पत्तनों से भी किए गए थे जिसमें गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम वसूली हुई।

तदनुसार, मंत्रालय से देखी गई कम उगाही यदि कोई हो, के साथ ही सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी, कोलकता (पत्तन) ने पुनर्आयातित मालेां का गलत छूट अनुमत किया।

3.6 अधिसूचना सं. 158/95 सीमाशुल्क दिनांक 14 नवम्बर 1995 के प्रावधान के अनुसार निर्यातित मालों के पुनर्आयात को मरम्मत या सुधार हेतु निर्यातीकरण की तिथि से तीन वर्षों के भीतर सम्पूर्ण सीमाशुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की वूसली से छूट होगा बशर्ते कि आयातक पुनर्आयात की

तिथि से छः महीनों के भीतर मरम्मत के बाद कथित माल के पुनर्निर्यात की घोषणा करते हुए एक बांड भरें। निर्धारित समय के अंदर इनके पुनर्निर्यात में विफल होने के मामले में आयातक से पुनर्आयात के समय वसूले गए शुल्क तथा आयात के समय लेकिन छूट के लिए ऐसे माल पर देय शुल्क के बीच की बराबर राशि देय होगा।

मै. टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ने 'एलयूमिनियम समेल्टर हेतु मशीनरी पुर्जों' का पुनर्आयात किया (जून 2010), जिसे उल्लिखित अधिसूचना के तहत भुगतान के बिना मरम्मत हेतु सीमाशुल्क आयुक्तालय (पत्तन), कोलकाता के माध्यम से अगस्त 2009 में पहले निर्यात किया गया था। उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में आयातक द्वारा दिए गए स्थायी शुल्क (पीडी) बांड को आयातक द्वारा प्रस्तुत (नवम्बर 2010) पुनर्निर्यात दस्तावेजों के आधार पर विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया (फरवरी 2011)। हालांकि शिपिंग बिल जिसके माध्यम से माल पुनर्निर्यात किए गए थे, की संवीक्षा से पता चला कि पुनर्निर्यातित माल आयातित मालों के समान नहीं थे। बल्कि पुनर्आयातित मालों के प्रतिस्थापन के रूप में आपूर्त किए गए थे जो शिपिंग बिल पर आयातक की घोषण से सुस्पष्ट था। इस प्रकार, मरम्मत के बाद आयातित मालों का पुनर्निर्यात करने के लिए अधिसूचना संख्या 158/95 की अभी भी नहीं पूरी हुई जिसके लिए आयातक से ₹ 12.43 लाख की शुल्क छूट लाभ राशि की वसूली की जानी थी।

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क भवन, कोलकाता ने रिपोर्ट (दिसम्बर 2012) किया कि लागू ब्याज के साथ शुल्क के भुगतान हेतु आयातक को एक मांग नोटिस जारी कर दिया गया था (दिसम्बर 2012)।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात ऑकड़ो के विश्लेषण से पता चला कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा कर्नाटक के विभिन्न बन्दरगाहों से इसी तरह का आयात किया गया तथा उपरोक्त अधिसूचना के तहत स्पष्टतया गलत छूट को मंजूरी दी गई जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

तदनुसार मंत्रालय को कम उद्ग्रहण की वसूली, यदि कोई पाई गई हो, तो उसके अलावा ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया था (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 2014)।

निर्धारण अधिकारी ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए गलत तरीके से छूट को मंजूरी दी।

3.7 दिनांक 31 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. की क्रम संख्या 552 तथा 555 के अनुसार, सीटीएच 28230010 के तहत आने वाली 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' तथा सीटीएच 32061110 के तहत वर्गीकरण योग्य 'पर्ल सेट पीगमेन्ट (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)' शुल्क की रियायती दर के योग्य नहीं है। इसके अलावा, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त उत्पाद के बारे मे सूचना से पता चला कि 'होमबिटन' वर्णन के तहत मदें कुछ भी नही अपितु 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' रसायन है।

मै. सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा अन्यों ने जेएनसीएच, मुम्बई, कोलकाता (पोर्ट) तथा कस्टम हाउस, कोच्ची के माध्यम से 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के 15 कन्साइन्मेंट का आयात किया (अगस्त 2009-जून 2012)। इनमें से, दो के संदर्भ में प्रविष्टि बिलों (बीएसई) ने 'होमबिटन' के रूप में मद विवरण तथा 'टाईटेनियम डाईऑक्साइड' के रूप में अन्यों को दर्शाया। इस माल को सीटीएच 28230010/32061190 के तहत गलत वर्गीकरण किया गया तथा दिनांक 31 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002 –सीमाशुल्क के तहत शुल्क की रियायती दर को निर्धारित किया गया, भले ही आयातित माल शुल्क की रियायती दर का पात्र नहीं है। इस प्रकार, रियायती लाभ के गलत विस्तार के कारण ₹ 10.80 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त, आईएडी (आयात), जेएनसीएच ने सूचित किया (दिसम्बर 2010/अप्रैल 2013) कि पांच बीएसई के संदर्भ में, आयातकों से ₹ 3.41 लाख की राशि की वसूली की गई तथा एक मामले में मांग नोटिस भी जारी किया गया। शेष बीएसई के संदर्भ में स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

इसके अलावा, अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के लिए आईसीईएस 1.5 अखिल भारतीय आयात ऑकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि मुम्बई तथा दिल्ली के बंदरगाहों से इसी प्रकार का आयात किया गया तथा अधिसूचना लाभ को मंजूरी देते हुए सीमाशुल्क की रियायती दर पर अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

तदनुसार, मंत्रालय को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा कम उद्ग्रहण की वसूली यदि कोई पाई गई हो, उनकी स्थिति बताने का अनुरोध किया गया था (नवम्बर 2013)।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (2014 मार्च 2014)।